म/नि0/2017/4797

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा (म.प्र.)

78

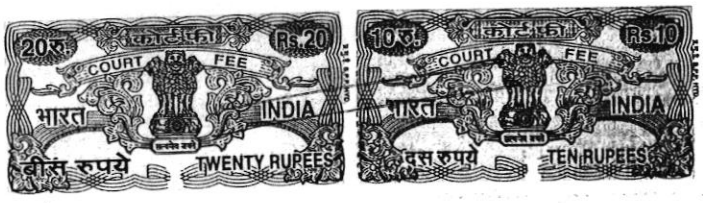

Rs.30/

निगरानी प्रकरण क्रमांक–

1. अमरनाथ पिता मंगल काछी,
2. रंगनाथ पिता मंगल काछी,
3. रामस्वयंबर पिता जोखू काछी
4. सियादुलारी बेवा बैजनाथ काछी

सभी निवासी ग्राम– कुशमहर, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

-------- आवेदकगण

बनाम

1(अ) रामावतार पिता स्व0 राममनोहर काछी उम्र– 55 वर्ष,

1(ब) रामसिया पिता स्व0 राममनोहर काछी उम्र– 50 वर्ष,

1(स) रामायण पिता स्व0 राममनोहर काछी उम्र– 45 वर्ष,

1(द) रामकली बेवा रामराज काछी उम्र– 46 वर्ष,

1(ई) जितेन्द्र पिता रामराज काछी उम्र– 18 वर्ष,

1(फ) राजेश पिता रामराज काछी उम्र– 15 वर्ष,

1(क) वीरेन्द्र पिता रामराज काछी उम्र– 12 वर्ष,

दोनों नावालिक द्वारा बली संरक्षिका माता रामकली बेवा रामराज काछी

1(ख) शीतल पिता रामराज काछी उम्र– 20 वर्ष,

1(ग) सुखवरिया पत्नी राममनोर काछी उम्र– 75 वर्ष,

2. रामरती पिता पिताम्बर काछी

सभी निवासी ग्राम– झोखरवार, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

3. वुटुलिया पिता मंगल काछी
4. रामकुमार पिता बैजनाथ काछी

दोनों हाल मुकाम देवगढ़,

5. शिवकुमार पिता बैजनाथ काछी
6. राजू पिता बैजनाथ काछी
7. रामनाथ पिता बैजनाथ काछी

29/11/017

8. कुंअरिया पुत्री बैजनाथ काछी

9. कैलसुआ पुत्री बैजनाथ काछी

सभी निवासी ग्राम– कुशमहर, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

10. म0प्र0 शासन ———— अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक– 206/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक– 21.11.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि अनावेदकगण/अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, वृत्त– सेमरिया, तहसील–गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 103/अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक– 07.10.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी अपील लम्बनकाल में ही अपीलार्थी राममनोहर काछी की मृत्यु दिनांक– 27.07.2013 को हो गई थी परन्तु निर्धारित समय में राममनोहर काछी के विधिक वारिशों का नाम अभिलेख में योजित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया दिनांक– 21.11.2017 को दूसरे अधिवक्ता महोदय प्रकरण में उपस्थित होकर आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का आवेदन पेश किये कि प्रकरण के पूर्व अधिवक्ता महोदय निर्धारित समय में मृत पक्षकार के वारिशों को पक्षकार बनाने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किये राममनोहर काछी की मृत्यु दिनांक– 27.07.2013 को हो चुकी है उनके वारिशों को पक्षकार बनाया जाय।

2. यह कि उक्त आवेदन के साथ धारा– 5 म्याद अधिनियम का आवेदन व शपथ–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर आवेदकगण/उत्तरवादीगण से जवाब नहीं लिया गया सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया उसी दिनांक को आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का आवेदन स्वीकार कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक– 21.11.2017 का आदेश विधि के विपरीत है जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/4797

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
7/8/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये । आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोपद बनास के प्रकरण क्रमांक 206/2011–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–11–17 के विरूद्व म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानीकर्ताओं के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपीलार्थी राममनोहर काछी की मृत्यु दिनांक 27–7–13 को हो गई थी, परन्तु निर्धारित समय में उसके विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने के लिये आवेदन नहीं दिया गया। दिनांक 21–11–17 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 3 का एंव आदेश 1 नियम 10 का आवेदन विलम्बित था जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार करने में भूल की है जबकि मामला अवेट होने से समाप्त करना था। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 206/2011–12 के उन्मान में अंकित अपीलांट्स के विवरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि यदि राममनोहर काछी की मृत्यु हो गई थी एंव	

अन्य रिस्पा. महिला गेंदकली की मृत्यु हो गई थी, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–11–17 में अंकित अनुसार महिला गेंदकली के विधिक वारिस पूर्व से प्रकरण में पक्षकार रहे हैं जिसके कारण उन्हें वारिस होना मान्य किया गया है। जहां तक राममनोहर काछी की मृत्यु पर उसके विधिक वारिसों को समय पर रिकार्ड पर न लिये जाने का प्रश्न है ? अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील के उन्मान अनुसार मृतक राममनोहर के अतिरिक्त प्रकरण में अन्य अपीलार्थी भी है जिसके कारण संपूर्ण प्रकरण का उपसमन नहीं होता है। यदि मृतक राममनोहर के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन विलम्ब से दिया गया है, सामान्यतः माना गया है कि ग्रामीण एंव अनपढ़ व्यक्ति कानून के जानकार नहीं होते है जिसके कारण मामले के निराकरण में उदाररूख अपनाया जाकर मामले का निराकरण न्याय के लिये गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिये।

> अवधि विधान की धारा–5 सहपठित म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 – अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्वांत अंतर्ग्रस्त हो तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास व्दारा प्रकरण कमांक 206/2011–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–11–17 न्याय की दृष्टि से उचित है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजायश न होने से निगरानी अमान्य की जाती है।

सदस्य